न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00431 एवं क्रॉस–ऑब्जेशन अपील संख्याः 20/45

कैला बाई पुत्री गुडक्या जाति मेघवाल पत्नी मदनलाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. धनराज आत्मज मदनलाल ।
2. महावीर आत्मज मदन लाल ।
3. मदनलाल आत्मज नामालूम जाति मेघवाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. काली बाई पुत्री औंकार विधवा रामनाथ जाति बलाई मेघवाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा हाल निवास अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   सारू पुत्री औंकार पत्नी श्री लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
2. नन्दलाल आत्मज श्रीलाल
3. रामभरोस आत्मज श्रीलाल
4. रामस्वरूप आत्मज श्रीलाल जाति मेघवाल निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से ।

संशोधित निर्णय दिनांकः 22.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में साबिक खसरा नम्बर 511 की रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा आराजी थी । उक्त भूमि वादिनी एवं

प्रतिवादी कम 01 की माँ जीवनी तथा प्रतिवादी कम 02 के शामलाती खाते में दर्ज थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1068 रकबा 2.95 हैक्टर कायम किये गये । प्रतिवादी कम 01 ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिली भगत करके उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 01 व 02 का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज है । राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन होने से प्रतिवादी कम 01 के मन में बदनियति आ गयी है तथा वे वादिनी एवं प्रतिवादी कम 02 के हिस्से की आराजी को हडपने पर आमादा हैं। वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्त करावे तथा अपने हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को उसके 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिनी के हिस्से की भूमि पर वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2019 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी 27.09.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 मृतक कैलाबाई के वारिसान अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकॉर्ड एवं पारिवारिक सजरे के उत्तराधिकार के अनुरूप नहीं होने से उसे संशोधित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट को भी रेस्पोडेन्ट कम 01 के साथ व रेस्पोडेन्ट कम 2, 3 व 4 के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों और तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि वादिनी अर्थात् रेस्पोडेन्ट कम 01 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 02 का 1/3 हिस्सा है जिसे सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी कम 01 के नाम दर्ज कर दी । प्रस्तुत वाद में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 02 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित नहीं कर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.09.2019 निरस्त फरमाया जावे । रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 04 की ओर से कॉस–ऑब्जेक्शन पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये । कॉस– ऑब्जेक्शन में तनकीयात के अनुसार निर्णय पारित नहीं करने, वसीयत की जॉच नहीं करने व दावे को अवधि मध्य मानने में त्रुटि किया जाना अंकित कर कॉस–ऑब्जेक्शन स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन, हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी औंकार के खाते में दर्ज थी और औंकार की मृत्यु के आद उनकी विधवा जीवनी पुत्रियॉ काली, सारू और कैलाबाई पुत्री गुडक्या के नाम संभाग से दर्ज की गई । सेटलमेंट विभाग के द्वारा बिना किसी को सूचना दिये सम्पूर्ण आराजी सारूबाई के नाम दर्ज कर दी । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है । अतः उन्हें 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित नहीं किया है जबकि अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है । अतः अपीलान्टगण को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेन्ट को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है काली बाई का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा था और रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के हिस्से को अपीलान्ट ने चैलेंज नहीं किया है । अतः अपीलान्ट को 1/3 हिस्सा देते हुए रेस्पोडेन्ट का भी 1/3 हिस्सा यथावत रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में वसीयत है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की हैं । वसीयत को प्रमाणित करने का अवसर नहीं दिया है । अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी काली बाई ने एक दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और यह कथन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 511 जिसके नये खसरा नम्बर 1067 और 1068 कुल रकबा 2.96 हैक्अर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि में वादिनी का 1/3 हिस्सा है और प्रतिवादी क्रम 1 व2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है ।प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया है और यह कथन किया है कि औंकार ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी क्रम 01 सारू के नाम वसीयत कर दी थी । अतः दावा वादिनी खारिज किया जावे ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 प्रदर्श– पी–1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 511 औंकार वल्द बाला के खातेदारी में दर्ज है जिसमें नामान्तरण संख्या 511दिनांक 01.05.1986 से मृतक औंकार के स्थान पर बेवा जीवनी, काली, सारू पुत्री औंकार 3/4 केला पुत्री गुडक्या हिस्सा 1/4 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श– 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सारू पत्नी श्रीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 511 के हाल खसरा नम्बर 1067, 1068 कायम हुए हैं । नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई है ।

13. पत्रावली पर बयान वादिनी काली बाई कराये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.10.2002 के अनुसार प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया था इसके उपरान्त प्रतिवादी 01 की ओर से जवाबदावा खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2003 को पेश किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.01.2004 को स्वीकार किया गया । इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 10.03.2004 को जवाबदावा पेश किया गया । प्रतिवादीगण को परीक्षण न्यायालय के द्वारा साक्ष्य पेश करने के लिए कई अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.08.2019 के अनुसार प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 प्रदर्श– 1 संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में औंकार के स्थान पर जीवनी, काली, सारू और केला बाई पुत्री गुडक्या का नाम संभाग से दर्ज किया गया है ।

15. दावे की मद संख्या 04 के अनुसार जीवनी की मृत्यु हो चुकी है और औंकार के जो परिवार का शजरा पेश किया गया है उसको प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में स्वीकार किया है । तद्नुसार औंकार की पत्नी की मृत्यु हो चुकी और उनके वारिस कालीबाई, सारू पुत्री और केलाबाई पुत्री गुडक्या हैं । सारू बाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 4 हैं और केला बाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस अपीलान्टगण हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का दावा स्वीकार करते हुए वादिनी को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है और शेष इन्द्राज को यथावत रखा है जबकि नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार केलाबाई का भी इसमें संभाग से हित–निहित है । तद्नुसार विभाजन के दावे में केलाबाई के वारिसान को भी 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाना अनिवार्य था । प्रतिवादी क्रम 01 सारूबाई एवं उसके वारिसान के द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की गई है और उनके द्वारा अपनी साक्ष्य दिनांक 21.08.2019 को बन्द करवायी गई है । उनके द्वारा कोई वसीयत भी न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में पेश की गई है । ऐसी स्थिति में पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–1 के इन्द्राज के अनुसार यह माना जावेगा कि वादग्रस्त आराजी की काली बाई, सारू और केला बाई संभाग से सहखातेदार हैं । वादिनी कालीबाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा और विभाजन का दावा पेश किया है जिसे स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है परन्तु इसमें सिर्फ वादिनी के 1/3 हिस्से के बाबत् ही अधिकार घोषणा एवं विभाजन की डिक्री पारित की है जबकि राजस्व रिकॉर्ड से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण जो कि कैला बाई के वारिस है उनका भी 1/3 हिस्सा निहित है । विभाजन के दावे में समस्त सहखातेदारों के हिस्सों को दर्शाते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जानी चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के हिस्से की घोषणा करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की है जो त्रुटिपूर्ण है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व कॉस–ऑब्जेक्शन खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

वाद वादिनी स्वीकार किया जाता है । ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 2.95 हैक्टर कुल 2.96 हैक्टर में वादिनी काली बाई को 1/3 हिस्से का और प्रतिवादी कम 02 कैलाबाई के वारिसान को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी कम 01 सारू के वारिसान को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री तहसीलदार, दीगोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. मूल निर्णय दिनांक 14.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व संशोधित निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00431

कैला बाई पुत्री गुडक्या जाति मेघवाल पत्नी मदनलाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. धनराज आत्मज मदनलाल ।
2. महावीर आत्मज मदन लाल ।
3. मदनलाल आत्मज नामालूम जाति मेघवाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा

––अपीलार्थी

बनाम

1. काली बाई पुत्री औंकार विधवा रामनाथ जाति बलाई मेघवाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा हाल निवास अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   सारू पुत्री औंकार पत्नी श्री लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
2. नन्दलाल आत्मज श्रीलाल
3. रामभरोस आत्मज श्रीलाल
4. रामस्वरूप आत्मज श्रीलाल जाति मेघवाल निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 27.09.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 104/दावा/2010

काली बाई पुत्री औंकार विधवा रामनाथ जाति बलाई मेघवाल निवासी ग्राम भाण्डाहेडा हाल निवास अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. सारू पुत्री औंकार पत्नी श्रीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नन्दलाल आत्मज श्रीलाल
   1/2. रामभरोसा आत्मज श्री लाल

1/3. रामस्वरूप आत्मज श्रीलाल जाति मेघवाल निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

2. कैला बाई पुत्री गुडक्या जाति मेघवाल पत्नी मदन लाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–

   2/1. धनराज आत्मज मदनलाल

   2/1. महावीर आत्मज मदन लाल ।

   2/3. मदन लाल आत्मज नामालूम जाति मेघवाल निवासी सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 27.09.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.09.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व क्रॉस–ऑब्जेक्शन खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

   वाद वादिनी स्वीकार किया जाता है । ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 2.95 हैक्टर कुल 2.96 हैक्टर में वादिनी काली बाई को 1/3 हिस्से का और प्रतिवादी क्रम 02 कैलाबाई के वारिसान को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी क्रम 01 सारू के वारिसान को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री तहसीलदार, दीगोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह संशोधित डिक्री आज तारीख 22.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.9.2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा